



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/अका./2022/280

भोपाल, दिनांक : 28/10/2022

संशोधित आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा सत्र जनवरी 2020 से स्नातक उपाधि एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। अतः समस्त स्नातक उपाधि एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों हेतु सत्र जुलाई 2020 एवं इसके बाद के सत्रों में प्रवेशित छात्रों के लिए परीक्षा सत्र दिसम्बर-जनवरी में विषम (ODD Number) एवं परीक्षा सत्र मई/जून में सम (EVEN Number) सेमेस्टर की परीक्षाओं को करवाया जाएगा। इन छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र मई/जून में 2nd, 4th, एवं 6th सेमेस्टर की परीक्षाएँ तथा शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसम्बर/जनवरी में 1st, 3rd, एवं 5th सेमेस्टर की परीक्षाएँ करवाई जावेंगी। यह व्यवस्था आगामी परीक्षा सत्र दिसम्बर-2022/जनवरी-2023 से लागू रहेगी।

यह निर्णय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा।

(डॉ. अविनाश बाजपेयी)

कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2022/2802

भोपाल, दिनांक : 28/10/2022

प्रतिलिपि :

- 8 निदेशक, ए.एस.आई. मा.च.रा.प.सं. वि.वि. को सूचनार्थ।
- 9 समस्त विभागाध्यक्ष, मा.च.रा.प.सं. वि.वि. को सूचनार्थ।
- 10 सहायक कुलसचिव (परीक्षा) मा.च.रा.प.सं. वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11 सहायक कुलसचिव (नामांकन/गोपनीय) मा.च.रा.प.सं. वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12 समस्त परिसर, मा.च.रा.प.सं. वि.वि. को सूचनार्थ।
- 13 प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 14 समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.mcu.ac.in पर ऑनलाईन प्रकाशित)।

(डॉ. अविनाश बाजपेयी)

कुलसचिव